

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवोट अधिकारी मुकाम थोडाभीम व
 इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य ए.पी.डी.

उजवाण

बेला ज्वाला सहाय
शंकर (3) देवेन्द्र (4)
नय (5) निरिवेल कुमार
जाला सहाय सभस्त
श्री ब्राह्मण निवासी
मोवडा तहसील
थोडाभीम - कोणारी

बनाम

0 बाबूसिंह पुत्र चन्नासिंह (2) समानत
करतारसिंह (3) अर्जुनसिंह (4) (जाति)
बनश्यामसिंह (5) श्यामराजसिंह राजपूत
किशंवरसिंह (6) मूलसिंह (7) निवासी
महेशसिंह फि बाबूसिंह (8) श्री किशन मोवडा
(9) राज कुमार फि गोपालसिंह (10) तहसील
जलेदको पाले गोपालसिंह थोडाभीम
(11) तहसीलदार थोडाभीम (कोणारी)
 मुकदमा नं० 51 सन् 2013

बत इन्द्राज कुमारी स्थायी निषेधाज्ञा
खेडवली

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई श्री गजमोहन शर्मा ए.व. व हाजिरी

मिनकानिब गुदई सबरु हमोर

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दावा बादी रिगलाफ प्रतिवादीगण ता 0 को स्थायी निषेधाज्ञा
 से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मोवडा की कुमिशन नं 3324
 कवा 0.94 है, 3326 रकबा 0.24 है, 3327 रकबा 0.62 है,
 कुल कित 3 कुल रकबा 1.77 है में वादीगण के कच्चे कागज
 में मजबूत गडा खलत गही करे।

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन्

जासी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
खलत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
दान			फीस कमिशनर		
मशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
मराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान					